



पत्रांक : 812 /मु०अ०जा०वि०/मेरठ/अनुमोदन

दिनांक 03-11-2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) वितरण, मेरठ से प्राप्त एवं संस्तुत निम्नलिखित कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव पर प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

क्र० सं०	जानपद खण्ड/मण्डल	टिप्पणी संख्या एवं दिनांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	लागत (रु० लाख में) (जी०एस०टी० अतिरिक्त)	वित्त पोषण
1	वि०जा०वि०म०, मेरठ	पत्रांक 1061 दिनांक 30.10.2023	आई०टी० अनुभाग हेतु निर्मित भवन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बैठने हेतु फर्नीचर केबिन एवं अन्य जानपदीय कार्य के सम्बन्ध में।	10.00	ओ०एण्ड०एम०
कुल योग				10.00	

उपरोक्त अनुमोदन निम्न के प्रतिबन्धाधीन होगा:

- सक्षम समिति द्वारा कार्य/क्रय के आवंटन का निर्णय आमंत्रित ई-निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों की औचित्यता/युक्तियुक्तता के परिपेक्ष्य में सुनिश्चित किया जायेगा।
- क्रय/कार्य का वित्त पोषण उपरोक्त सारणी के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा एवं सम्बन्धित कार्य हेतु स्वीकृति अनुसार पर्याप्तता/समौचित्य सुनिश्चित किया जायेगा।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यथा प्रदत्त अनुमोदन से अनुशंसित कार्य अथवा किसी पूर्व प्रदत्त अनुमोदन की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
- कार्य/क्रय की प्रगति से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- कार्य का ऑकलन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत करने के उपरान्त ही निविदा कार्य/क्रय समिति को प्रस्तुत की जाये।
- अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में प्राविधान सुनिश्चित किया जायें।

पत्रांक : 812 /मु०अ०जा०वि०/मेरठ/अनुमोदन

मुख्य अभियन्ता (जानपद)
दिनांक 03-11-2023

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ई-मेल द्वारा

- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण मण्डल, मेरठ को टिप्पणी तथा आदेश की छायाप्रति सहित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण खण्ड, मेरठ को टिप्पणी तथा आदेश की छायाप्रति सहित एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रख-रखाव का विधिवत रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित करेंगे।

(रविन्द्र सिंह ढाका)
मुख्य अभियन्ता (जानपद)
03/11/2023

टिप्पणी तथा आदेश

पृष्ठ

पत्रांक:- 1061/वि0जा0वि0खं0/मेरठ/प्रस्ताव

दिनांक:- 30/10/2023

विषय:- आई0टी0 अनुभाग हेतु निर्मित भवन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बैठने हेतु फर्नीचर केबिन एवं अन्य जानपदीय कार्य के सम्बन्ध में।

निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन)/ (वित्त)/ प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।

संज्ञान में लाना है कि अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0) एवं स्टॉफ आफिसर के कार्यालय पत्रांक 7796/प0वि0वि0नि0लि0/मे0/दिनांक 12.10.2023 एवं कार्यालय पत्रांक 8015/प0वि0वि0नि0लि0/मे0/दिनांक 20.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अनुरोध किया गया कि आई0टी0 अनुभाग हेतु निर्मित भवन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बैठने हेतु फर्नीचर, केबिन एवं अन्य जानपदीय कार्य कराना अति आवश्यक है।

उपरोक्त सभी कार्य कराने हेतु एक प्रांकलन तैयार किया गया, जिसके अनुसार सम्बन्धित कार्यों पर निम्न विवरण अनुसार रू0 13.23 लाख (यथा अनुमन्य वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) (प्रांकलन संलग्न) का व्यय होना अनुमानित है।

यहां यह भी अवगत कराना है कि उक्त भवन का निर्माण कार्य विभाग के आन्तरिक संसाधन मद में कराया गया है (अनुमोदन की छायाप्रति संलग्न)। अध्यक्ष महोदय उ0प्र0पा0का0लि0 के पत्रांक 2916/रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक 20.07.2023 के द्वारा वर्तमान में आन्तरिक संसाधन मद को बन्द कर दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)। अतः उक्त कार्य को कार्य की प्राथमिकता के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023-24 के "ओ0एण्डएम0" मद में कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित व्यय
1	पार्ट-ए (फर्नीचर सप्लाइ का कार्य) (प्रांकलन संलग्न)	रू0 9,62,804.00
2	पार्ट-बी (पार्टीशन केबिन, इन्टरकॉम, प्यूरीफायर वाटर कूलर एवं पर्दे इत्यादि का कार्य) (प्रांकलन संलग्न)	रू0 3,59,827.00
	योग	रू0 13,22,631.00
	अर्थात्	रू0 13.23 लाख

अतः अनुरोध है कि आई0टी0 अनुभाग निर्मित भवन सम्बन्धित उक्त कार्यों हेतु रू0 13.23 लाख (यथा अनुमन्य वस्तु व सेवाकर अतिरिक्त) का वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन "ओ0एण्डएम0" मद में देना चाहें एवं क्रम सं0-01 'पार्ट-ए' पर अंकित फर्नीचर सप्लाइ की आपूर्ति से सम्बन्धित कार्यों को GeM पोर्टल के माध्यम से तथा क्रम सं0-02 'पार्ट-बी' पर अंकित अन्य विभिन्न कार्यों को अल्पकालीन ई-निविदा के माध्यम से सम्पादित कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करना चाहें।

(अरविन्द सिंह)
30/10/23

मुख्य अभियन्ता (जानपद)
वि.जा.वि.मं., मेरठ

(रविन्द्र सिंह डाका)

मुख्य अभियन्ता (जानपद)
पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ

(मुनीन्द्र कुमार)
30/10/23

अधिशाली अभियन्ता
वि.जा.वि.खं., मेरठ

(निदेशक (वित्त))
30/10/23

(रविन्द्र सिंह डाका)
3-11-23

1) Approved upto 10 lakh limit.
2) The expenditure proposed be intimated to PCLH&S also. 03/11